

नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड

(मिनी रत्न कंपनी)

(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगीकंपनी)



Northern Coalfields
Limited

(A Miniratna Company)

(A subsidiary of Coal India Limited)

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220

Phone : 05446-276279 (O), 267280 (R) Fax : 05446-276274, 07805-25610 e-mail : cgm@ncl.coalindia.in Website : www.ncl.coil.in

बीना/उ०प्र० वन/एफ०सी० /2021 /36

दिनांक: 29.05.2021

सेवा में,

प्रभागीय वनधिकारी

रेनूकूट वन प्रभाग , रेनूकूट

विषय:- जनपद- सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्तुत ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/MIN/24551/2017 के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र संख्या 3575/रेनूकूट /15-108 दिनांक 26 अप्रैल 2021

महोदय,

प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , उ०प्र०, लखनऊ के स्तर से लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार जानकारी निम्न अनुसार है।

क्र सं	मांगी गयी जानकारी	उपरोक्त जानकारी
1	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु संलग्न सूची में व्यास वर्ग गलत अंकित किया गया है। अतः ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार सही व्यास वर्ग अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करें एवं ऑनलाइन भाग - 2 के additional information detail से पूर्व कर डिलीट कर संशोधित अपलोड करें।	उक्त बिन्दु का निराकरण वन विभाग स्तर से किया जाना है।
2	प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष 01 हे० का ही मॉडल प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जोकि अपूर्ण है। अतः 61 हे० अवन्त वनभूमि का पूर्ण प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक -13(i) में अपलोड करें।	उक्त बिन्दु का निराकरण वन विभाग स्तर से किया जाना है।

[Handwritten signature]



- 3 प्रस्ताव में क्षतिपूर्क वनीकरण का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक -13(v) में अपलोड नहीं है। उक्त बिन्दु का निराकरण वन विभाग स्तर से किया जाना है।
- 4 वन अधिकार अधिनियम -2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर जिलाधिकारी की मुहर नहीं लगी है। अतः जिलाधिकारी की मुहरयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर जिला अधिकारी की मोहर लगा कर इस पत्र के साथ पाँच प्रतियाँ में संलग्न कर दिया गया है। ऑनलाइन प्रस्ताव के भाग 1 में उपरोक्त प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
- 5 ऑनलाइन भाग-2 के additional information detail में अपलोड किए गए act-1980 Certificate एवं DSS Analysis Certificate में मुख्य वन संरक्षक के हस्ताक्षर नहीं है, अतः इसे डिलीट कर हस्ताक्षरयुक्त ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें। उक्त बिन्दु का निराकरण वन विभाग स्तर से किया जाना है।

भवदीय

29/05/21

महाप्रबंधक
बीना परियोजना

